फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

श्री रामकरण पुत्र बनास V/S श्रीमती w/o स्व. रामचन्द्र जाट

धारा 111-128 L.R Act किस्म प्र.० क्र.

प्र०सं० 402/17

बाद जॉच ~~वाद~~/प्रार्थनापत्र/~~अपील~~ प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 22.1.2018 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

22-1-18 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी गण के कस्टम बाद तामील प्राप्त हुये। जिनके शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत तलवाने दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण इस तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। श्रीमान प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। श्रीमान प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को भिजवाई दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा (राज.)

Scanned by CamScanner